

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
 अहकाम उ
 की तामील

3/8 आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत में पेश करने हेतु चिन्हित की गई। पत्रावली को लोक अदालत में पेश करने के लिए कर्मी कर एवं वकील पक्षकारान को सूचित किया गया।
 दिनांक 10/5/18 को पेश हुआ।

10/5/18

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत हुक्म द्वारा पत्रावली के पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिसे अवलोकन से पता चला कि विवादित आराजी गैर मुद्रित चारागाह के अन्तर्गत आती है जो कि अब्दुल रहमान बन्नाम सरकार से प्राप्त है। ऐसी स्थिति में रास्ता दिया जाना आवश्यक नहीं है। अतः पत्रावली पत्र वापस किया गया। इसी स्तर पर खरिज किया जाता है। मिलल हुक्म शुमार घेडर नम्बर से उक्त की जाकर बाद तामील दाखिल फरार हो।

अध्यक्ष
 (उपखण्ड अधिकारी)
 राजस्व लोक अदालत
 थानागाजी (अलवर) राज०